संख्या-49/सीपी 57/84-2-2014-सीपी 8/89

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2014

विषय राज्य आयोग में लम्बित वादों/अपीलों की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4016/यूपीएससीडीआरसी/यूपी/वाद/7/06, दिनांक 31 जनवरी, 2014 एवं पत्र संख्या-4042/एससीडीआरसी/यूपी/अधि(सा)-67/2006-पार्ट 3(ए), दिनांक 03 फरवरी, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2014 में अंकित माह दिसम्बर, 2013 की सूचना में पिछले माह के अवशेष वादों की संख्या 770+24558+2575=(27903) दर्शायी गयी है, जबकि भारत सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 03 फरवरी, 2014 जो शासन को पृष्ठांकित है, में माह नवम्बर, 2013 के अंत में लम्बित वादों की संख्या 28167 प्रदर्शित की गयी है। अत: कृपया शासन को उक्त दोनों सूचनाओं में माह नवम्बर, 2013 के अंत में राज्य आयोग में लम्बित वादों में भिन्नता के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in